आरटीआई आवेदन

सं.आर-18(1)/-2019 आरटीआई (खण्ड- III)
भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

उधोग भवन, नई दिल्ली
दिनांक: 5 जुलाई, 2019

कार्यालय ज्ञापन

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने हेतु श्रीमती जमीला खातून, वैशाली का सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत दिनांक 28.06.2019 का आरटीआई आवेदन, जो वाणिज्य विभाग में दिनांक 02.07.2019 को प्राप्त हुआ है।

अधोहस्ताक्षरी को उपरोक्त विषय पर, इस ज्ञापन के साथ श्रीमती जमीला खातून, वैशाली का सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत, दिनांक 28.06.2019, का आरटीआई आवेदन, जो वाणिज्य विभाग में दिनांक 02.07.2019 को प्राप्त हुआ, को भेजने का निर्देश हुआ है।

2. यह आरटीआई आवेदन वाणिज्य विभाग के सीपीआईओ, श्री अमिताभ द्विवेदी, उप सचिव, सामान्य अनुभाग और सभी सार्वजनिक प्राधिकरण जो वाणिज्य विभाग के अंतर्गत आते है, से अनुरोध है, कि आरटीआई अधिनियम 2005 के तहत, आवेदक के द्वारा मांगी गई सूचना, आरटीआई प्रकोष्ठ, वाणिज्य विभाग, को सूचित करते हुए, सीधे, आवेदक को उपलब्ध करवाई जाए ।

3. यदि मांगी गयी सूचना संपूर्ण रूप से या उसका कोई भाग किसी अन्य सीपीआईओ/लोक प्राधिकारी (प्राधिकारियों) से संबंधित है तो आवेदन को आरटीआई अधिनियम,2005 की धारा 6(3) के अनुसार सीधे संबंधित सीपीआईओ/लोक प्राधिकारी (प्राधिकारियों) को अंतरित किया जा सकता है।

संलग्न: यथोक्त

(के. वी. अजित)
उप निदेशक (पूर्ति) एवं सीपीआईओ

सेवा मे,

1.सीपीआईओ {श्री अमिताभ द्विवेदी, उप सचिव - सामान्य अनुभाग}, वाणिज्य विभाग, उद्योग भवन।
2.सभी सार्वजनिक प्राधिकरण जो वाणिज्य विभाग के अंतर्गत आते है। (सूची के अनुसार)

प्रतिलिपि सूचनार्थ:

1. श्रीमती जमीला खातून, ग्राम - सामाचक, पोस्ट - हरौली, जिला - वैशाली, बिहार - 844103 - को इस अनुरोध के साथ कि इस मामले में आगे की जानकारी के लिए उपर्युक्त सीपीआईओ से संपर्क करें ।

①

निबंधित। जन सूचना का अधिकार, अधि० वर्ष 2005 के धारा 6(1) के तहत प्रपत्र

सेवा में,

जन सूचना अधिकारी
कोमर्स विभाग

दिनांक 23.6.19

महोदय,

– निवेदन के साथ कहना है की मुझे निम्न जानकारी दिलायी जाये: —

1. "क" आपके मंत्रालय / विभाग के अधिन, जितने भी प्रभाग उपक्रम, आयोग, समिति हैं उन सभी से मुझे शिघ्र सूचना उत्तर प्रदान करने के लिये 6(3) में स्था प्रपत्र रेफर कर सूचित करायी जाये तथा स्वयं भी जो उत्तर आपके पास हैं सो दिलायी जाये की
(ख) आपके मंत्रालय / विभाग या उपक्रम आयोग, समिति के स्वागत कक्ष होते हैं उनमे स्वागत अधिकारी के पास टेलीफोन डायरेक्टरी का सिटी पेपर में प्रिन्ट प्रति उस विभाग के समीत पदा० / कर्मी० / मंत्री आदि का नाम, पद, फोन, मेल आदि होते हैं — कृपया मुझे एक प्रति उक्त डायरेक्टरी शीघ्र दिलाया जाये, लेकिन इस आशय का वेबसाइट ना० नहीं दि जाये, गाँव में नेट, लाइन नहीं होता है।
"ग" केवल प्रिन्ट प्रति दि जायें एवं दिलाया जाये।
2. मैं सूचना शुल्क में संलग्न B.P.L प्रमाण नथ्थी करते हैं।

अनु०- संलग्न प्रमाण पत्र 1 प्रति साथ में।

अतः शीघ्र उत्तर दिलायी जायें।

आपका,
– जमीला खातुन –
ग्राम - सामाचक
पो० - हरसेरी
जि० - वैशाली
बिहार
844103

FTS-2784911/ज्ञा
3/7/2019

श्री आलोक
3/7/19

Office of the Development Commissioner
Kandla Special Economic Zone
Ministry of Commerce & Industry
Gandhidham-Kutch-370 230
Phone (02836)-253300, 252475, 252273
Fax (02836) – 252250 & 252194
E-mail: admn.kasez-gj@gov.in
Website: www.kasez.gov.in

सत्यमेव जयते

KASEZ

फा. सं. KASEZ/ RTI/28/2019-20 - 559-60

दिनांक: 18.07.2019
By Speed Post

सेवा में,
श्रीमती जमीला खातून,
ग्राम-सामाचक, पोस्ट- हरोली,
जिला-वैशाली, बिहार-८४४१०३.

विषय : सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सुचना उपलब्ध करवाने के सन्दर्भ में.

महोदया,

कृपया उपरोक्त विषय पर आप अपने आर.टी.आई. आवेदन दिनांक २८.०६.२०१९ का सन्दर्भ ले, जो इस कार्यालय में दिनांक ०९.०७.२०१९ को प्राप्त हुआ है।

इस सन्दर्भ में, सम्बंधित विभागों से प्राप्त वांछित सुचना के अनुसार, आपको यह सूचित किया जाता है कि यह सुचना शुन्य समझी जाये.

उपरोक्त सूचना आपको सूचना का अधिकार 2005 के सेक्शन – 7 के तहत दी जा रही है। अगर आप उपरोक्त सुचना से संतुष्ट नहीं है तो इस पत्र के प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के सेक्शन 19(1) के तहत आप प्रथम अपील विकास आयुक्त, कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र, गांधीधाम(कच्छ) -370230 के समक्ष कर सकते है।

भवदीय,

अ.कु. 18.7.19
(अरुण कुमार)
सी.पी.आई.ओ./उपायुक्त (सीमाशुल्क)
कांडलाविशेषआर्थिकक्षेत्र,
गांधीधाम

का० प्रति०

मी. सं. – यथोपरि
प्रतिलिपि श्री के. वी. अजीत, उप निदेशक (पूर्ति) एवं सीपीआईओ, , वाणिज्य एवं उदयोग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग, नई देल्ही , आपके पत्र सं. आर -18(1)/2019 आर टी आई(खंड-III) दिनांक ०५.०७.२०१९ के आलोक में सूचनार्थ।